| प्रकल्प | अंगीकृत प्रकल्पों की संख्या | प्रत्येक प्रकल्प का वार्षिक व्यय |
|---|---|---|
| • लड़के तथा लड़कियों के लिये छात्रवास | 200 | 1,20,000 |
| • बोंगईगांव अस्पताल में कमरे, शल्य चिकित्सा कक्ष एवं स्पेशल वार्ड का निर्माण | | 5,00,00 |
| • चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित केन्द्र | 100 | 7,000 |
| • हस्त करघे से सूत हेतु | 500 | 20,000 |
| • बालबाड़ी | 10 | 25,000 |
| • एकल विद्यालय | 50 | 15,000 |
| • प्राथमिक पाठशालाएं | 4 | 1,25,000 |
| • माध्यमिक स्कूल | 2 | 2,00,000 |
| • पुस्तकालय | 50 | 7,500 |
| • रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र | 5 | 1,00,000 |
| • तीरन्दाजी प्रशिक्षण केन्द्र | 5 | 1,00,000 |
| • खेल-कूद केन्द्र | 5 | 51,000 |
| • मंदिर की छत | 5 | 25,000 |
| • चिकित्सा | | |
| ऐलोपैथी | 2 | 1,50,000 |
| होम्योपैथी | 5 | 25,000 |
| • स्थानीय पैथी | 10 | 15,000 |
| • आरोग्य रक्षक | 20 | 24,000 |
| • संस्कार केन्द्र | 5 | 25,000 |

## उपकरणों का दान

वनवासी क्षेत्रों के विकास एवं वहां के निवासियों की सहायता हेतु नकद राशि के अतिरिक्त निम्न सामान की भी आवश्यकता है:-

- जीप, चिकित्सा वाहन एवं मोटर साईकिल, फरनीचर निर्माण, बुनाई एवं सिलाई मशीनें तथा करघे
- कम्प्यूटर तथा उसके सहायक उपकरण

दान दी गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80जी में कर मुक्त है। **चैक तथा ड्राफ्ट भारत विकास परिषद् के नाम से जारी किये जायें जो दिल्ली में देय हों।**


**भारत विकास परिषद्**

भारत विकास भवन, बी.डी. ब्लाक, पावर हाउस के पीछे, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

दूरभाष: 27313051, 27316049 फैक्स-011-27314515 ईमेल-bvp@bvpindia.com वेबसाइट-www.bvpindia.com


**भारत विकास परिषद् से सम्बन्धित प्रत्येक जानकारी हेतु परिषद् की वेबसाइट www.bvpindia.com को देखें।**


Printed by : Yashika Printers # 9818383198


Sampark ◊ Sahyog ◊ Sanskar ◊ Sewa ◊ Samarpan

# भारत विकास परिषद्

# Bharat Vikas Parishad

# वनवासी सहायता योजना

भारत विकास परिषद् प्रकाशन


स्वस्थ-समर्थ-संस्कारित भारत ✶ Swasth-Smarth-Sanskarit Bharat

# भारत विकास परिषद्

भारत विकास परिषद् की स्थापना जुलाई 1963 में हुई थी।

यह 1860 में बने सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं इसकी पंजीयन संख्या S-2272-1963-1964 है।

परिषद् का उद्देश्य समाज के प्रबुद्ध एवं सभ्रान्त बुद्धिजीवी वर्ग को प्रेरित करके उन्हें देश के निर्धन, आशिक्षित, पिछड़े एवं अपंग लोगों की सेवा करने हेतु संगठित करना है। यह कार्य भारत की सांस्कृतिक परम्परा के अनुसार कर्तव्य की भावना से किया जाता है।

परिषद् यह कार्य अपने 5 सूत्रों के आधार पर संचालित करती है। ये सूत्र हैं:-

✸ सम्पर्क ✸ सहयोग ✸ संस्कार ✸ सेवा ✸ समर्पण

अब तक परिषद् की 1200 से अधिक शाखाएं भारत वर्ष के लगभग सभी प्रांतों में स्थापित हो चुकी हैं एवं सदस्य संख्या 53,000 परिवार हैं। परिषद् में परिवार (पति-पत्नी दोनों) ही सदस्य माने जाते हैं।

सेवा सूत्र को व्यावहारिक रूप देने के लिये परिषद् ने 14 विकलांग सहायता केन्द्र स्थापित किये हैं। इस समय 1460 स्थायी प्रकल्प भी कार्य कर रहे हैं, जिनमें अस्पताल, स्कूल, डायग्नोस्टिक सेंटर, एम्बुलेन्स इत्यादि सम्मिलित हैं।

संस्कार सूत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, गुरु वन्दन छात्र अभिनन्दन, भारत को जानो, परिवार संस्कार एवं प्रौढ़ संस्कार शिविर इत्यादि सम्मिलित हैं।

## वनवासी सहायता योजना

वनवासी सहायता योजना सेवा सूत्र का ही एक अंग है।

हमारे देश में वनवासी/आदिवासी बन्धुओं की कुल संख्या 6.50 करोड़ से अधिक है। इनमें से 24% मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एवं गुजरात में तथा शेष अन्य प्रांतों में रहते हैं। ये लोग लगभग डेढ़ लाख गांवों में बिखरे हुए हैं एवं ये गांव पहाड़ियों, जंगलों, रेगिस्तानों एवं दुर्गम स्थानों पर स्थित हैं। अधिकतर गांव कच्ची बाँस निर्मित झोपड़ियों के समूह मात्र हैं, जहां पक्की सड़कें, बिजली, पानी का नितान्त अभाव हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाओं से यहां के निवासी नितान्त वंचित हैं। वनवासी/आदिवासी दृढ़ चरित्र वाले सीधे-सादे होते हैं किन्तु शिक्षा के अभाव एवं प्रगति से दूर होने के कारण अंध विश्वासों की दुनिया में जीते हैं।

विदेशी धार्मिक संस्थाएं भी इस स्थिति का लाभ उठाती हैं एवं धर्म परिवर्तन ने अलगाववादी आन्दोलनों को जन्म दिया है।

विकास के आधुनिक मॉडल ने वनवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सड़कें, कारखाने इत्यादि के निर्माण के लिये इन्हें उजाड़ दिया गया है। पुनर्वास की योजनाएं केवल कागजों पर हैं एवं भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। इनकी जीविका के स्रोत, वनों का विनाश तेजी से हो रहा है। अत: जहां एक ओर प्रगति हो रही है वहां वनवासी अवगति के गर्त में ढकेले जा रहे हैं।

भारत को स्वतंत्र हुए 67 वर्ष हो गए हैं, तब से अब तक सभी के सतत सहयोग के माध्यम से आज वनवासी क्षेत्रों में पुरुष 72% और महिलाएं 85 प्रतिशत शिक्षा के अभाव में हैं। वहां 75% आबादी स्वास्थ्य एवं 50% आबादी बिजली से आज भी वंचित हैं। वनवासियों की इस शोचनीय स्थिति में परिवर्तन लाने के लिये ही **वनवासी सहायता योजना** प्रारम्भ की गई है। इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

- वनवासियों के हस्तशिल्प एवं अन्य कारीगरी को संरक्षित रखने एवं उनकी कुशलता बढ़ाने में सहायता करना।
- स्वयं एवं अन्य संगठनों, जो कि इसी प्रकार के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, से सम्पर्क स्थापित करके एवं उनके सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार इत्यादि के क्षेत्रों में नव निर्माण करना एवं पुराने प्रकल्पों की आर्थिक सहायता करना।

उत्तर-पूर्व के प्रांतों को इस योजना के अन्तर्गत 50 लाख रुपया वार्षिक से अधिक की सहायता दी जाती है। बोंगई गांव (असम) में कांची श्री शंकर मेडिकल सेण्टर के नाम से एक अस्पताल बनाया जा रहा है जहां अनेक रोगों की विशेषज्ञता पूर्ण चिकित्सा की जायेगी। इस 30 बिस्तरों वाले हस्पताल में रु 1.25 करोड़ की लागत आ रही है। इसी प्रकार एक चिकित्सा केन्द्र तेजपुर में भी चल रहा है। दूसरे प्रान्तों में भी इसी प्रकार के प्रकल्पों पर कार्य चल रहा है एवं कम से कम 50 लाख रुपये वार्षिक खर्च किये जा रहे हैं।

**छात्रावास-** देश भर में अनेक स्थानों पर बनवासी क्षेत्र के छात्रावास चल रहें हैं। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। इसमें हम स्थानीय स्तर पर भी सहायक हो सकते हैं।

## अपील

उदारमना एवं सेवाभाव रखने वाले उद्योगपतियों, व्यवसायियों एवं सम्पन्न व्यक्तियों से इस योजना हेतु मुक्त हस्त से दान देने की अपील की जाती है।

भारत विकास परिषद् ने निम्न प्रकल्पों को अंगीकृत किया है। नीचे लिखी तालिका में प्रकल्प का नाम, उनकी संख्या एवं प्रत्येक प्रकल्प के लिये आवश्यक धन राशि दी जा रही है।

प्रत्येक प्रकल्प पर दानदाता का नाम अंकित किया जायेगा एवं यदि वे उस स्थान पर स्वयं आना चाहेंगे तो उनका सहर्ष एवं सम्मानपूर्ण स्वागत किया जायेगा।